

## राशन कार्ड खो जाने/नष्ट हो जाने की दशा में नवीनीकरण (डुप्लीकेट) हेतु आवेदन—पत्र (फार्म—02)

जनपद का नाम .....  
तहसील का नाम .....  
नगर निकाय का नाम .....

विकास खण्ड का नाम .....  
ग्राम पंचायत का नाम .....  
राजस्व ग्राम का नाम .....

उचित दर दुकानदार का नाम .....  
पुराने राशनकार्ड का प्रकार — ए०पी०एल० / बी०पी०एल० / अन्त्योदय  
पुराने राशनकार्ड की संख्या — .....

1. परिवार के मुखिया का नाम — .....  
पिता/पति का नाम — .....  
माता का नाम — .....

2. पूरा पता/मकान नं० .....  
मोहल्ला .....  
वार्ड .....  
पिन कोड .....  
मोबाइल नम्बर .....

3. बिजली है/नहीं है .....  
4. गैस कनेक्शन है/नहीं है .....  
5. गैस एजेन्सी का नाम/उपभोक्ता संख्या — .....

6. स्थानीय निवास की अवधि .....  
7. भवन स्वामी/किरायेदार .....  
8. भवन का प्रकार (कच्चा/पक्का).....

श्रेणी — (सामान्य/ओ०पी०सी०  
/एस०सी०/एस०टी०)

परिवार के मुखिया  
की नवीनतम स्कैन  
की गई फोटो

9. मुख्य सहित परिवार के सदस्यों का नाम  
का नाम 10. माता 11. लिंग 12. मुखिया से सम्बन्ध 13. आयु (पूर्ण वर्ष में) 14. जन्मतिथि 15. व्यवसाय 16. मासिक आय 17. व्यवसाय/ कार्यालय का पता 18. आवेदक की सूची (अपनी श्रेणी चिह्नित करें व संगत कोई एक प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

श्रेणी विवरण

(1) भवन स्वामी

गृहकर/जलकर/बिजली/टेलीफोन का बिल/  
वोटर आई०डी०/आधार कार्ड/ड्राइविंग

(2) किरायेदार

लाइसेंस/पासपोर्ट / बैंक की पासबुक  
किरायेदार की पक्की रसीद/किरायेदारी  
अनुबन्ध/वोटर आई०डी०/आधार कार्ड/  
ड्राइविंग लाइसेंस /पासपोर्ट/बैंक की पासबुक

(3) पूर्व निवास स्थान से समर्पण प्रमाण—  
पत्र लाने वाले

समर्पण प्रमाण—  
पत्र के साथ उपरोक्त में से कोई

(4) सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी

निवास एवं परिवार की सदस्य संख्या के सम्बन्ध  
में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण—पत्र (हस्ताक्षर व  
मुहर सहित)

(5) पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यरत व्यक्ति

निवास एवं परिवार की यूनिट संख्या के सम्बन्ध  
में लेबर आफिसर/मैनेजर/मालिक द्वारा जारी  
प्रमाण—पत्र

(क) मैं ..... सशपथ घोषित करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मेरा तथा मेरे परिवार के सभी सदस्यों का भोजन एक रसोई में बनता है तथा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का राशन कार्ड अन्यत्र कहीं प्रचलित नहीं है और न ही किसी राशन कार्ड में कहीं सम्मिलित है।

(ख) मैंने अपने ..... श्रेणी के होने का प्रमाण—पत्र स्वरूप संगत प्रमाण—पत्र (.....) संलग्न कर दिया है। (यदि लागू न हो तो काट दें)

दिनांक :

नोट : मकान नम्बर के कॉलम में आवेदक नगर पालिका/विकास प्राधिकरण या सम्बन्धित भवन निर्माण समिति का नम्बर अंकित करें।  
साथ में मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें।

(आवेदक/परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)

### प्राप्ति रसीद

आपका आवेदन—पत्र सं० ..... दिनांक ..... प्राप्त हुआ है। कृपया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए दिनांक ..... को काउन्टर पर स्वयं सम्पर्क करें।

सम्बन्धित के हस्ताक्षर

(कार्यालय में प्रयोग हेतु)

19. आवेदन—पत्र के जांचकर्ता/लिपिक मुहर सहित हस्ताक्षर .....  
 20. परिवार के सदस्यों की संख्या  
     बालिक .....  
     नाबालिग .....  
     कुल यूनिट .....
21. कार्ड का विवरण  
     मुद्रित संख्या .....  
     दिनांक .....
22. अभिकर्ता/दुकान का नाम .....  
     दुकान की संख्या .....  
     जिससे कार्ड सम्बद्ध किया गया ।
23. कार्ड प्राप्त करने वाले मुखिया के हस्ताक्षर / अँगूठा प्रिशानी

(पदाभिहित अधिकारी की जाँच का प्रतिफल)

- 24.(क) आवेदन—पत्र में दिया गया विवरण  
 सही/आंशिक रूप से सही/सही नहीं है।  
 (ख) सदस्यों की संख्या  
     बालिग .....  
     नाबालिग .....  
     कुल यूनिट .....  
     पाई गई ।
- (ग) राशन कार्ड (ख) के अनुसार निर्गत किया  
 जाये/न किया जाये। निर्गत राशन कार्ड निरस्त किया  
 जाये ।
- हस्ताक्षर : खाद्य अधिकारी
25. उचित दर दुकान का नाम .....  
 शॉप रजिस्टर का क्रमांक .....  
 मास्टर रजिस्टर का क्रमांक : .....
26. पुराना राशन कार्ड संख्या—..... निरस्त किया गया ।

हस्ताक्षर पदाभिहित अधिकारी  
 (बाद में समय—समय पर की गई जाँचों का प्रतिफल)

क्रमांक	जाँच/आवेदन की तिथि	प्रयोजन	कार्ड नं०	बालिग .....	जाँच आवेदन का प्रतिफल (वर्तमान यूनिट)	
					नाबालिग .....	कुल यूनिट .....
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						